फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रामलाल बनाम विपक्षी : राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

केस मुकदमा — 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 99/23

क्रमांक | कार्यवाही विवरण

दिनांक : 10.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा आवंटन पत्रावली पेश नही गई। आवंटन पत्रावली पेश करने के अवसर को बंद किया जाता है। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार ग्राम खड़ौदा की साबिक आराजी न. 1206/6 किता 1 रकबा 5 बिघा भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी से अंकित रही है। नवीन सेटलमेंट के बाद उक्त साबिक आराजी न. के नये आराजी न. 2477 रकबा 1.0800 है. भूमि दर्ज हुई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन कहा की उक्त भूमि का जो नया नक्शा दर्ज किया गया है। उक्त नक्शा साबिक नक्शे वह प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि से भिन्न वह अलग है जबकि प्रार्थीगण वर्तमान नक्शे वह वर्तमान आराजी न. 2480, 2561/2480, 2562/2480 किता 3 रकबा 0.8500 है. व आराजी न. 2481 सम्पूर्ण वह 2482 का कुछ हिस्सा भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है जबकि वर्तमान खसरा संख्या 2477 प्रार्थीगण के नाम अंकित कर नक्शे में गलत तरमीम कर दी गई है जिससे संशोधित कर साबिक नक्शे व मौके अनुसार दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया कि मौजा खरड़ौदा की आ. न. 2477 रकबा 1.08 है. श्री कन्हैयालाल, गोदा, रामलाल पिता उंकारलाल, भगु बाई पत्नी उंकारलाल मेघवाल के नाम दर्ज रेकर्ड है। आ.न. 2477 के पुराने आ.न. 1206/6 थे। जो कि रकबा 5 बिघा होकर श्री उंकार पिता उदा मेघवाल के नाम पर आंवटित हुई थी। प्रार्थीगण का मौके पर आ.न. 2477, 2480, 2561/2480, 2562/2480 पर शामलाती रूप में कब्जा है। प्रार्थीगण आराजी न. 2481, 2482 की जगह पर अपनी उक्त 5 बिघा भूमि का आंवटन होना बता रहे उक्त आराजी नं. के सेटलमेंट से पूर्व के नक्शे का अवलोकन किया गया उस नक्शे में आराजी नं. 1206/6 की तरमीम नहीं हो रखी है। इसलिए प्रार्थीगण को आराजी नं. 1206/6 रकबा 5 बिघा की आंवटन पत्रावली के नक्शे को उपलब्ध करवाने हेतु पाबन्द किया गया।

प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि साबिक आराजी न. 1206/6 की तरमीम नहीं हो रखी है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को आवंटन पत्रावली पेश करने हेतु आदेशित किया गया था जिसरो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई जिससे न्याय निर्णयन नही किया जा सकता। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं पाते है। अतः प्रकरण धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से व वादी के वाद पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम का अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर ...... से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:53:42 IST
Reason: SelfAttested